

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- ✓ 1. अपील संख्या – 331/2014/अलवर.
 2. अपील संख्या – 332/2014/अलवर.
 3. अपील संख्या – 333/2014/अलवर.

मैसर्स एम. जी. मोटर्स,
 1. लीलैण्ड सर्किल के पास, तिजारा रोड़, अलवर.अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, अलवर.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री शैलेन्द्र विजय, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.


श्री आर. के. अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/02/2015

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये तीन अपीलों अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 64/आरवेट/2013-14/उपा/अपील्स/अलवर में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 14.11.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों वर्ष 2006-07, 2007-08 व 2008-09 के लिये पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 12.06.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार किया है।
2. इन तीनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से तीनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 16.08.2010 को सर्वेक्षण किया जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा अपने ग्राहकों से ACC/TCC चार्जेज के रूप में प्रति वाहन रूपये 200/- वसूल किये जा रहे हैं, जिस पर कर अदा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए उक्त राशियों पर कर, ब्याज व वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण आदेश दिनांक क्रमशः 16.09.2010, 16.09.2010 व 11.02.2011 से



लगातार.....2

किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें तत्कालीन अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः जांच हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये। प्रतिप्रेषण निर्देशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरणों में पुनः पृथक—पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.06.2013 को पारित करते हुए ACC/TCC चार्जेज की राशि में नारियल, चुन्नी, फीता व पूजन सामग्री की राशि को कम करते हुए शेष राशि पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश क्रमांक	कर निर्धारण अवधि
1	2	3	4
1.	331 / 2014	64 / RVAT / 2013–14 / उपा / अपील्स / अलवर	2006–07
2.	332 / 2014	65 / RVAT / 2013–14 / उपा / अपील्स / अलवर	2007–08
3.	333 / 2014	66 / RVAT / 2013–14 / उपा / अपील्स / अलवर	2008–09

ACC/TCC चार्जेज की विवादित राशि	आरोपित			
	कर	ब्याज	शास्ति	योग
5	6	7	8	9
1,37,304 /—	17,163 /—	—	34,326 /—	51,459 /—
3,34,890 /—	41,861 /—	—	83,722 /—	1,25,583 /—
2,75,337 /—	34,417 /—	19,274 /—	68,834 /—	1,22,525 /—

4. अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन संयुक्तान्देश दिनांक 14.11.2013 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये द्वितीय अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

6. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि ACC/TCC चार्जेज की राशि वाहन के विक्रय के पश्चात ग्राहक की इच्छानुसार करवाये गये पूजा आदि कार्यों के लिये वसूल की गई है, जिसमें नारियल, चुन्नी, फीता, मिठाई, पण्डित की दक्षिणा आदि का मूल्य शामिल है। उक्त समस्त सामग्री करमुक्त है, जिस पर किसी प्रकार की करदेयता नहीं बनती है। ग्राहक द्वारा वाहन की डिलीवरी लेने के उपरान्त शोरूम से गाड़ी निकालने पर पूजा आदि की व्यवस्था के लिये प्रति वाहन रूपये 200 /— लिये गये हैं, जिसमें समस्त पूजन सामग्री व पण्डित की दक्षिणा सम्मिलित है। इस प्रकार उक्त वसूल की गई राशि विक्रय के पश्चात वसूल की जाने से 'विक्रय मूल्य' में शामिल नहीं की जा सकती। वेट अधिनियम की धारा 2(36) के तहत दी गई 'विक्रय मूल्य' की परिभाषा में वही राशि सम्मिलित की जा सकती है, जो कि

100/—

लगातार.....3

डिलीवरी से पूर्व वसूल की गई हो। जबकि हस्तगत प्रकरणों में वसूल की गई राशि डिलीवरी के पश्चात ली गई है और वह भी ग्राहक की इच्छा के अनुसार। ग्राहक पर किसी प्रकार की अनिवार्यता नहीं होती कि वह वाहन की पूजा करवाये अथवा नहीं करवाये। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा ACC/TCC चार्जज के रूप में वसूल की गई राशि से सम्बन्धित किस सामग्री का विक्रय किया गया है, स्पष्ट किये बिना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों का समुचित रूप से अवलोकन किये बिना कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये करारोपण की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने पूजन सामग्री के लिये वसूल की गई राशि को केम करने के उपरान्त शेष बची ACC/TCC चार्जज की राशि पर ही करारोपण की कार्यवाही की गई है। नारियल, चुन्नी, फीता व पण्डित की दक्षिणा की राशि पर किसी प्रकार का करारोपण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का यह तर्क अनुचित है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पूजन सामग्री व पण्डित की दक्षिणा पर करारोपण की कार्यवाही की गई है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी डीलर द्वारा वाहन की डिलीवरी के समय दी जाने वाली सेवाओं पर करारोपण किया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी के आदेश में भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

8. सभ्यपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

9. हस्तगत प्रैकरणों में कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावलियों पर उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा वाहन की डिलीवरी के समय अपने ग्राहकों से ACC/TCC चार्जज के रूप में प्रति वाहन (ग्राहक की इच्छा अनुसार) रूपये 200/- वसूल किये गये हैं, जिसमें ग्राहकों की इच्छा अनुसार नारियल, चुन्नी, फीता, मिठाई व पण्डित की दक्षिणा दी गयी है। सामान्य विवेक बुद्धि से विचार करने पर भी रूपये 200/- में उक्त सामग्री के

अलावा अन्य कोई सेवा दिया जाना प्रथम दृष्टया ही तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेशों के अनुसरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 35 सपठित धारा 24/26, 55 61 के तहत पारित किये गये विवादित आदेशों में नारियल, चुन्नी, फीता व पण्डित की दक्षिणा की राशि को कम करते हुए, अवशेष राशि पर करारोपण की कार्यवाही की गयी है। किन्तु कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उनके द्वारा पूजन सामग्री को कम किये जाने के पश्चात शेष राशि किस वस्तु के विक्रय के पेटे वसूल किया जाना मानते हुए करारोपण किया गया है। वेट अधिनियम में करारोपण की कार्यवाही वेद अधिनियम की अनुसूचियों में अधिसूचित दर अनुसार ही की जा सकती है। किन्तु कर निर्धारण आदेशों में इस तथ्य का पूर्णतः अभाव है कि 12.5 प्रतिशत की दर से वसूल किया गया कर किस वस्तु पर आरोपित किया जा रहा है तथा वेट अधिनियम की अनुसूची में उक्त वस्तु का किस क्रम पर इन्द्राज किया हुआ है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया करारोपण प्रथम दृष्टया ही त्रुटिपूर्ण है।

10. उक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत व तर्कसंगत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये करारोपण की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

12. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी
(मनोहर पुरी)
सदस्य